



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229881
CG-DL-E-23092021-229881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3590]
No. 3590]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का० आ० 3914 (अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि कच्चे तेल के परिवहन के लिए एक पाइपलाइन, हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन सिस्टम्स परियोजना के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया से बिहार राज्य में बरौनी तक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री भुवनेश्वर मिश्रा, से० नि० अपर सचिव बिहार सरकार व सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिविजन), हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन सिस्टम्स परियोजना, बरौनी निर्माण कार्यालय, बी० के० पी० एल० मुख्यालय परिसर, पो० बरौनी आयल रिफ़ाइनरी, जिला बेगूसराय, पिन- 851114 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
जिला - पटना		राज्य : बिहार			
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोकामा	हथिदह बुजुर्ग - 20	2421	00	17	60
		2419	00	03	01

[फा. सं. आर-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3914(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of crude oil, a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114.

SCHEDULE					
District : Patna			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mokama	Hathidah Buzurg- 20	2421	00	17	60
		2419	00	03	01

[F. No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.